न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:-75/2021
दाउदनगर थाना कांड संख्या :-43/2021

29.09.2021 आवेदकगण नामतः साजिद, इफरान कुरैशी, डॉन कुरैशी एवं मुराद कुरैशी की ओर से ई-फायलिंग के तहत उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ बंधपत्र दाखिल करने हेतु आवेदन दाखिल किया, तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण का जमानत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, औरंगाबाद द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-1012/2021 में पारित आदेश दिनांक-23.09.2021 के आलोक में प्राप्त हुई है । उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदकगण बंधपत्र दाखिल करना चाहते है । अतः आवेदकगण को बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दिया जाय ।

सुना । अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदकगण का जमानत आवेदकगण का जमानत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, औरंगाबाद के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-1012/2021 में पारित आदेश दिनांक-23.09.2021 के आलोक में हुई है । उक्त आदेश के तहत उपरोक्त आवेदकगण को मो0-10000X2 (दस हजार) रूपये का बंधपत्र व इतनी ही राशि के दो प्रतिभू पर माननीय निचली अदालत की संतुष्टि उपरांत एवं धारा 438(2) द0प्र0सं0 के अनुपालन के आलोक में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है तथा आवेदकगण को यह निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह का अन्य मामले में उसकी संलिप्तता पायी जाती है तो उसका बंधपत्र बिखंडित किया जा सकता है । आवेदकगण वर्णित आदेश का अक्षरशः पालन करने का कथन करते है । उक्त आदेश की प्रति अभिलेख पर संलग्न है ।

अतः आवेदकगण को उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है ।

उ0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।